क्रम-संख्या-395

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०-4

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग 1--खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 15 जनवरी, 1977
पौष 25, 1898 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायिका अनुभाग-1

संख्या 137/सत्रह-वि-1---169-1976
लखनऊ, 15 जनवरी, 1977

अधिसूचना
विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) विधेयक, 1976 पर दिनांक 10 जनवरी, 1977 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 1977 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1976

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1977]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्ताईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जावेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 17, 1976 की धारा 1 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अधिनियम, 1976 की (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) धारा 1 में, उपधारा (4) में, खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:--

"(ख) उच्च न्यायालय के या उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के अधिकारी या सेवक;"।

धारा 2 क संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 2 में,—

(एक) खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"(कक) 'प्रस्तुतकर्ता अधिकारी' में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सहायक प्रस्तुतकर्ता अधिकारी भी सम्मिलित है;";

(दो) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात्:—

"(ख) 'लोक-सेवक' का तात्पर्य प्रत्येक ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित की सेवा में या उसका वेतन भोगी हो—

(एक) राज्य सरकार; या

(दो) स्थानीय प्राधिकारी जो छावनी बोर्ड न हो; या

(तीन) राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में कोई अन्य निगम (जिसके अन्तर्गत कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 3 में यथा परिभाषित ऐसी कम्पनी भी है जिसमें राज्य-सरकार समादत्त अंशपूंजी का पचास प्रतिशत से अन्यून धारण करती है किन्तु कोई अन्य कम्पनी अपवर्जित होगी)।"

धारा 5 का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 5 में—

(i) उपधारा (1) में, खण्ड (क) में निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्:—

"परन्तु जहां किसी निर्देश की विषय वस्तु के सम्बन्ध में, सक्षम न्यायालय ने पहले ही डिक्री या आदेश पारित कर दिया है या समादेश (रिट) जारी कर दिया है या निदेश दे दिया है और ऐसी डिक्री, आदेश, समादेश या निदेश अन्तिम हो गया है, वहां पूर्व न्याय का सिद्धांत लागू होगा";

(ii) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उप धारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:—

"(5-क) अधिकरण किसी निर्देश से सम्बन्धित किसी कार्यवाही पर या कार्यवाही में कोई अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) तब तक नहीं देगा, जब तक कि—

(क) ऐसे निर्देश की और अन्तरिम आदेश के लिये आवेदन की प्रतिलिपियां, ऐसे अन्तरिम आदेश के लिये दलील के समर्थन में सभी दस्तावेजों के साथ, उस पक्षकार को न दे दी जायं, जिसके विरुद्ध ऐसी याचिका प्रस्तुत की जाती है; और

(ख) ऐसे पक्षकार को उत्तर प्रस्तुत करने के लिये कम-से-कम चौदह दिन का समय न दे दिया जाय और उस विषय में सुनवाई का अवसर न दे दिया जाय :

परन्तु अधिकरण खण्ड (क) और (ख) की अपेक्षाओं को अभिमुक्त कर सकता है और यदि उसका समाधान हो जाता है कि प्रार्थी की किसी हानि, का, जिसकी क्षतिपूर्ति धन द्वारा पर्याप्त रूप से नहीं की जा सकती है, निवारण करने के लिये ऐसा करना आवश्यक है तो कारण का अभिलेख करते हुए अपवाद स्वरूप अन्तरिम आदेश दे सकता है, किन्तु कोई ऐसा अन्तरिम आदेश, यदि उसे पहले अभिशून्य न कर दिया जाय, उस दिनांक से, जब वह दिया जाय, चौदह दिन की अवधि की समाप्ति पर प्रभावी न रह जायगा, जब तक कि उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त अपेक्षाओं का अनुपालन न किया गया हो और अधिकरण ने उस आदेश के प्रवर्तन को जारी न रखा हो।

(5-ख) पूर्ववर्ती उप धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण को किसी लोक-सेवक के निलम्बन, पदच्युति, हटाने, पदावनति, सेवा-समाप्ति, अनिवार्य सेवा-निवृत्ति या प्रत्यावर्तन के लिये सेवायोजक द्वारा दिये गये या दिये जाने के लिये तात्पर्यित आदेश के सम्बन्ध में अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) देने की शक्ति नहीं होगी और ऐसे विषयों के सम्बन्ध में प्रत्येक अन्तरिम आदेश (व्यादेश या स्थगन के रूप में या किसी अन्य रीति से) जिसे अधिकरण ने इस उपधारा के प्रारम्भ के दिनांक के पूर्व दिया था और जो उस दिनांक को प्रवृत्त था, अभिशून्य हो जायगा।"

अपवाद और संक्रमणकालीन उपबन्ध

5—(1) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को उच्च न्यायालय के अधीनस्थ किसी न्यायालय के किसी सेवक के द्वारा या विरुद्ध मूल अधिनियम के अधीन कोई निर्देश अधिकरण के समक्ष विचाराधीन हो, वहां इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अधिकरण उसकी सुनवाई करेगा और उस पर विनिश्चय देगा।

(2) जहां इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के किसी पक्षकार ने सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 139 के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन नियुक्त अधिकारी के समक्ष लिया गया शपथ-पत्र दाखिल किया है, वहां ऐसे शपथ-पत्र को विधिमान्यतः शपथग्रहीत समझा जायगा और उस पर अधिकरण द्वारा उस रूप में कार्यवाही की जा सकती है ।

No. 137/XVII-V-1—169-1976

Dated Lucknow, January 15, 1977

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Lok Sewa (Adhikaran) (Sanshodhan) Adhiniyam, 1976 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 1977) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on January 10, 1977 :

THE UTTAR PRADESH PUBLIC SERVICES (TRIBUNALS) (AMENDMENT) Act, 1976

[U. P. Act no. 1 of 1977]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN ACT

further to amend the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) Act, 1976

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) (Amendment) Act, 1976.

Amendment of section 1 of U. P. Act 17 of 1976.

2. In section 1 of the Uttar Pradesh Public Services (Tribunals) Act, 1976 (hereinafter referred to as the principal Act), in sub-section (4), *for* clause (*b*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*b*) an officer or servant of the High Court or of a court subordinate to the High Court;".

Amendment of section 2.

3. In section 2 of the principal Act,—

(i) ***after*** clause (*a*), the following clause shall be *inserted*, namely:—

"(*aa*) 'Presenting Officer' includes an Assistant Presenting Officer appointed by the State Government;

(ii) *for* clause (*b*), the following clause shall be *substituted*, namely:—

"(*b*) 'public servant' means every person in the service or pay of—

(i) the State Government ; or

(ii) a local authority not being a Cantonment Board ; or

(iii) any other corporation owned or controlled by the State Government (including any company as defined in section 3 of the Companies Act, 1956, in which not less than fifty per cent of the paid up share capital is held by the State Government, but excluding any other company);

Amendment of section 5.

4. In section 5 of the principal Act—

(i) in sub-section (1), in clause (*a*), the following proviso shall be ***inserted***, namely:—

"Provided that where, in respect of the subject matter of a reference, a competent court has already passed a decree or order or issued a writ or direction, and such decree, order, writ or direction has become final, the principle of *res judicata* shall apply" ;

(ii) ***after*** sub-section (5), the following sub-sections shall be *inserted*, namely:—

"(5A) No interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) shall be passed by the Tribunal on or in any proceedings relating to any reference unless—

(*a*) copies of such reference and application for interim order, along with all documents in support of the plea for such interim order are furnished to the party against whom such petition is filed, and

(*b*) at least fourteen days' time is given to such party to file a reply and opportunity is given to it to be heard in the matter:

Provided that the Tribunal may dispense with the requirements of (*a*) and (*b*) and may, for reasons to be recorded, make an interim order, as an exceptional measure, if it is satisfied that it is necessary so to do for preventing any loss to the petitioner which cannot be adequately compensated in money, but any such interim order shall, if it is not vacated earlier, cease to have effect on the expiry of the period of 14 days from the date on which it is made unless the said requirements have been complied with before the expiry of the said period and the Tribunal has continued the operation of that order.

(5-B) Notwithstanding anything in the foregoing sub-sections, the Tribunal shall have no power to make an interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner) in respect of an order made or purporting to be made by an employer for the suspension, dismissal, removal, reduction in rank, termination, compulsory retirement or reversion of a public servant, and every interim order (whether by way of injunction or stay or in any other manner), in respect of such matters, which was made by a Tribunal before the date of commencement of this sub-section and which is in force on that day, shall stand vacated."

Savings and transitory provisions.

5. (1) Where, on the date of the commencement of this Act, a reference by or against a servant of a court subordinate to the High Court is pending under the principal Act before a Tribunal, it shall continue to be heard and decided by the Tribunal in accordance with the provisions of this Act.

(2) Where before the commencement of this Act, any party to any proceeding before a Tribunal has filed an affidavit sworn before an officer appointed under clause (*b*) or clause (*c*) of section 139 of the Code of Civil Procedure, 1908, such affidavit shall be deemed to have been validly sworn and may be acted upon by the Tribunal as such.

आज्ञा से,

कैलाश नाथ गोयल,

सचिव।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 453 सा० (विधायिका)--1976--980 (मे०)।